

अज्ञात-1645/15-7-16/265/1999

सेवा में,

श्री आर्जेड गांगुली  
उपचार प्रयोग शाखा ।

सेवा में,

शिक्षक,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
बिल्डिंग नंबर 2, नन्दपुर रोड,  
पुनर्वास विहार, नई दिल्ली ।

विषय (7) अनुमान

तथ्यज्ञ : दिनांक 29 अगस्त, 1999

विषय: आर.आर.ओ.मोरारका प्राथमिक स्कूल, अरिहोलीनगर, मुन्डकी मगीना बिक्रनौर जो सी.डी.डी.ओ.एच.डी. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह ख्याने का निदेश प्राप्त है कि आर.आर.ओ. मोरारका प्राथमिक स्कूल अरिहोलीनगर मुन्डकी मगीना बिक्रनौर जो सी.डी.डी.ओ.एच.डी. नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1) विद्यालय की परीक्षा सौभाग्यी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2) विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3) विद्यालय में कम से कम दस प्रमाणित स्थापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान और उनके उपचार प्रयोग माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में वि.अं.का छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अधिकाधिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/सी.डी.डी.ओ.एच.डी. नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की स्थिति में परिषद मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थापन प्राप्त हो जायेगी ।
- 5) संस्था अधिनियम एवं विनियमन कर्तारियों को राष्ट्रीय महाप्रकाश प्रकाशित संस्थाओं के कर्तारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6) कर्तारियों की सेवा शर्तें कदापी उल्लंघित और उनके सम्बन्धता प्राप्त आकाशवाणी उपचार माध्यमिक विद्यालयों के कर्तारियों में अनुमान्य वेतन नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

*S. S. Singh*  
PRINCIPAL  
R.R. MORARKA PUBLIC SCHOOL  
DWARIKESH NAGAR, DISTT. BUNOR-246762 (U.P.)  
(CBSE AFFILIATION NO.-2130396)

*S. S. Singh*  
R.R. Morarka Public School-2/-  
Managed by  
R.R. Morarka Charitable  
Trust.



- 178 राज्य सरकार द्वारा तब समय पर जो भी आदेश निर्गत हिये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 189 विज्ञापन का रिजर्ज नियमित प्रकाश/प्रकाशकों में रखा जायेगा ।
- 190 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन उक्त संस्था के लिए ज़रूरी होगा और यदि किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की बूझ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न समाप्त किए जाने पर संस्था को निलंबित किया जायेगा ।

भवदीय,  
 प्रमुख कार्यकारी  
 संस्था सचिव ।

पूना- 1345/13/15-7-77 तद्विनिर्देश

प्रतिबन्धित निम्नलिखित जो सूचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- विज्ञापन नियंत्रक, अखिल प्रदेश, वाराणसी ।
- 2- मध्यस्थ संस्था विज्ञापन नियंत्रक, मुरारकाबाद ।
- 3- विज्ञापन विज्ञापन नियंत्रक, दिल्ली ।
- 4- निरीक्षण, शक्ति भारतीय विज्ञापन, उज्जैन, वाराणसी ।
- 5- प्रमुख, मुरारकाबाद मुरारकाबाद वाराणसी प्रमुख, मुरारकाबाद, मुरारकी नगीना, दिल्ली ।

आज्ञा से  
 प्रमुख कार्यकारी  
 संस्था सचिव ।

S. Singh  
 B.R. Morarka Public School  
 Managed by  
 B.R. Morarka Charitable Trust.

B. Morarka  
 PRINCIPAL  
 B.R. MORARKA PUBLIC SCHOOL  
 DWARIKESH NAGAR, DISTT. BILNOR-246762 (U.P.)  
 (CBSE AFFILIATION NO.-2130396)